फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री विनोद **विपक्षी : श्री गोपीदास**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 22/22**

जीसीएमएस : 2022/65

कमांक	कार्यवाही विवरण	
	दिनांक : 10.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षी खातेदार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को पाबंद कराना चाह रहे हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं अनावश्यक पैचिदगीया बढेगी, परन्तु यदि मात्र विपक्षी को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया उभय पक्षकारान के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा मोरठ पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 1346, 725, 731, 738, 739 किता 5 रकबा 1.2787 हेक्टेयर, खाता संख्या 229 पर दर्ज आराजी नम्बर 1209, 1255, 1257, 1258, 1259, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 492, 497 किता 15 रकबा 3.7150 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 230 पर दर्ज आराजी नम्बर 1895/725, 727 किता 2 रकबा 0.0648 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (FT) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.09.25 10:23:59 IST Reason: SelfAttested	